

## भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

|    |  |   |
|----|--|---|
| 17 | टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये। | सागर जिले के अन्तर्गत Community Park निर्माण हेतु 0.999 हेक्टेयर का भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मालथोन जिला सागर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है। |
|----|--|---|

तिथि:— 31 / 08 / 2021

स्थान:— भोपाल।

  
(SUNIL AGRAWAL)  
Addl. P.C.C.F. (L.M.)  
Madhya Pradesh, Bhopal